

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

अधिसूचना: 17-21/2023-जीडीएस

दिनांक: 27.01.2023

ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की नियुक्ति।

ग्रामीण (जीडीएस) के लिए पात्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं
पोस्टमास्टर (बीपीएम) / सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम) / डाक सेवकों।

(शाखा सगाई)

आवेदन www.indiapostgsonline.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जाने हैं।

रिक्त पदों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

2. अनुबंध कार्यक्रम इस प्रकार है:

क्र सं.	गतिविधियाँ	अनुसूची
(i)	पंजीकरण / आवेदन सबमिशन प्रारंभ तिथि:	27.01.2023 से 16.02.2023
(ii)	के लिए संपादित/सुधार विंडो आवेदक:	17.02.2023 से 19.02.2023 तक

3. परिलब्धियाँ: जीडीएस को समय से संबंधित निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) और उस पर महंगाई भत्ता के रूप में परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू टीआरसीए निम्नानुसार हैं: -

क्र.सं. श्रेणी	मैं। बीपीएम	टीआरसीए स्लैब
द्वितीय।	एबीपीएम / डाक	₹.12,000/- -29,380/- ₹.10,000/-
सेवक		-24,470/-

नोट 1: जीडीएस एक सिविल पद धारक हैं, लेकिन वे भारत संघ की नियमित सिविल सेवाओं से बाहर हैं और जीडीएस (आचरण और सगाई) नियम, 2020 के अंतर्गत कार्य करते हैं। संख्या 13/2019-जीडीएस दिनांक 14.02.2020 समय-समय पर संशोधित रूप में

नोट 2: ओएम। सं.17-31/2016-जीडीएस दिनांक 25.06.2018 जीडीएस की सभी अनुमोदित श्रेणियों के लिए टीआरसीए और अन्य भत्तों के भुगतान से संबंधित www.indiapost.gov.in पर उपलब्ध है।

4. संक्षिप्त जॉब प्रोफाइल और निवास/आवास:

(i) ब्रांच पोस्टमास्टर (बीपीएम)

ब्रांच पोस्ट मास्टर के जॉब प्रोफाइल में शामिल हैं:

ए) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से शाखा डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के दैनिक डाक संचालन।

बी.बी) विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार और विभाग के ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएससी) आदि में विभिन्न सेवाओं का संचालन करना।

पर कामकाज करने वाले अधिकारी हैं। बीपीएम के पास डाक संदेश और मेल वितरण सहित शाखा डाकघर के सुचारू और समय

डी) एकल-हाथ के अलावा अन्य बीओ में, एबीपीएम द्वारा बीपीएम की सहायता की जा सकती है। हालांकि, आदेश दिए जाने पर बीपीएम को एबीपीएम की संयुक्त ड्यूटी करनी होगी। आईपीओ/एएसपीओ/एसपीओ/एसएसपीओ आदि जैसे वरिष्ठों द्वारा कोई अन्य कार्य भी सौंपा जा सकता है।

ई) निवास / आवास: जीडीएस बीपीएम के रूप में चयनित आवेदक को चयन के बाद लेकिन सगाई से पहले शाखा डाकघर के लिए आवास प्रदान करना होगा। नियुक्ति से पहले आवास के विवरण के साथ इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत की जानी है। इस प्रकार चयनित आवेदक को पोस्ट गांव (जिस गांव में बीओ कार्यरत है) में ही रहना होगा। आवास समय-समय पर संशोधित इस निदेशालय के पत्र संख्या 17-02/2018-जीडीएस दिनांक 08.03.2019 द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए।

(ii) सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम)

असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के जॉब प्रोफाइल में शामिल हैं:

ए) स्टाम्प/स्टेशनरी की बिक्री, वाहन और डाक की डिलीवरी
आईपीपीबी के दरवाजे पर जमा/भुगतान/अन्य लेनदेन।

बी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से बीपीएम डाक संचालन में सहायता के लिए।

सी) विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार और विभिन्न सेवाओं का संचालन

विभाग के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) आदि।

घ) एबीपीएम को अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त आदेश दिए जाने पर बीपीएम की संयुक्त ड्यूटी करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

ड) वरिष्ठ आईपीओ/एसपीओ/एसपीओ/एसएसपीओ आदि द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

पसंद करना

एफ) निवास: एबीपीएम को संबंधित डाकघर (एचओ/एसओ/बीओ) के वितरण अधिकार क्षेत्र में रहना आवश्यक है।

(iii) डाक सेवक

डाक सेवकों को विभागीय कार्यालयों जैसे उप डाकघरों, प्रधान डाकघरों आदि में लगाया जाएगा। डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल में शामिल हैं: -

एक) स्टॉप/स्टेशनरी की बिक्री, घर पर मेल की डिलीवरी, आईपीपीबी के जमा/भुगतान/अन्य लेनदेन और पोस्टमास्टर/सब पोस्टमास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों।

ख) डाक सेवकों को रेलवे मेल सर्विस (RMS) के सॉर्टिंग कार्यालयों में काम करना पड़ सकता है।

ग) मेल कार्यालयों में डाक सेवक डाक बैगों की रसीद प्रेषण, बैगों के ट्रांसशिपमेंट आदि का काम संभालेंगे।

द) डाक सेवक विभागीय डाकघरों के सुचारू कामकाज के प्रबंधन में पोस्ट मास्टर्स / सब पोस्टमास्टर्स की सहायता करेंगे और पोस्ट मास्टर या आईपीओ / एसपीओ / एसपीओ / एसएसपीओ / एसआरएम / एसएसआरएम आदि द्वारा सौंपे गए विपणन, व्यवसाय खरीद या किसी अन्य कार्य को करेंगे।

ड) निवास: डाक सेवकों को संबंधित डाकघर (एचओ/एसओ/बीओ) के वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर निवास करना आवश्यक है।

5. पात्रता मानदंड (सभी पदों के लिए):

5.1। आयु सीमा:

(मैं)। न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

(ii). अधिकतम आयु: 40 वर्ष।

(iii)। जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आयु निर्धारित की जाएगी
अधिसूचना के अनुसार आवेदन

(ए) ऊपरी आयु सीमा में छूट:

क्र.सं. नहीं।	श्रेणी	अनुमेय आयु में छूट
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	5 साल 3
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 3.	साल
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	कोई छूट नहीं 10 वर्ष
4.	विकलांग व्यक्ति (PWD)	13 वर्ष 15 वर्ष
5.	विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) + ओबीसी	
6.	विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) + एससी / एसटी	

(बी) प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्र का प्रारूप: आवेदक जो आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ विचार करना चाहते हैं या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(सी) ईडब्ल्यूएस आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

हालांकि, ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत शामिल नहीं हैं, उन्हें जीडीएस पदों पर नियुक्ति में 10% आरक्षण मिलेगा।

5.2। अधिसूचना की तिथि के अनुसार योग्यता:

(1) शैक्षिक योग्यता:

(ए) भारत सरकार / राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी (अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया गया है) में 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जीडीएस की सभी अनुमोदित श्रेणियों के लिए एक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता।

(बी) आवेदक को स्थानीय भाषा का अध्ययन करना चाहिए यानी (स्थानीय भाषा का नाम कम से कम माध्यमिक स्तर तक [अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में]।

(2)। अन्य योग्यताएँ:-

- (i) कंप्यूटर का ज्ञान
- (ii) साइकिल चलाने का ज्ञान
- (iii) आजीविका के पर्याप्त साधन

नोट-1: चयनित उम्मीदवारों को सगाई के समय उपरोक्त निर्धारित प्रारूपों (क्रमशः अनुबंध I, II और III के संदर्भ में) के संबंध में सगाई प्राधिकरण को वचन देना होगा।

नोट: 2 (i) किसी निर्वाचित पद पर आसीन व्यक्ति को पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) जीडीएस के रूप में चयनित आवेदक किसी भी बाहरी एजेंसी के साथ किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होगा, जो डाकघर/आईपीपीबी के व्यवसाय या हित के लिए हानिकारक होगा।

(iii) चयन के लिए पिछले अनुभव या किसी भी प्रकार की सेवा पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोर्डों को 4 दशमलव की सटीकता के प्रतिशत में एकत्र किया गया।
संबंधित अनुमोदित बोर्ड मानदंडों के अनुसार सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(iii) उन आवेदकों के लिए जहां उनकी 10वीं कक्षा की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के अंक या अंक और ग्रेड/अंक दोनों हैं, केवल उनके कुल अंकों की गणना सभी अनिवार्य और वैकल्पिक/वैकल्पिक विषयों (अन्य) में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखकर की जाएगी। अतिरिक्त विषयों की तुलना में, यदि कोई हो। यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च अंक वाले आवेदक का चयन हो जाए।

(iv) केवल विषयवार ग्रेड वाले आवेदकों के लिए, प्रत्येक विषय (अनिवार्य और वैकल्पिक विषय लेकिन अतिरिक्त नहीं) के लिए अंक आएंगे

श्रेणी	ग्रेड बिंदु	गुणन कारक 9.5
ए 1	10	
बी.जे. इ ए2	9	9.5
सी बी 1	8	9.5
टी बी 2	7	9.5
एस) सी 1	6	9.5
' सी2	5	9.5
बी डी	4	9.5

9.5 के गुणन कारक को निम्नलिखित तरीके से लागू करना: -

(v) ग्रेड/अंकों वाली अंक सूचियों के मामले में, अंकों की गणना ग्रेड और अंकों को गुणन कारक (9.5) के साथ अधिकतम अंकों या ग्रेड के रूप में 100 के रूप में करके की जाएगी।

(vi) जहां संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) भी प्रदान किया गया है, अंकों की गणना सीजीपीए को 9.5 से गुणा करके की जाएगी। जहां प्रत्येक विषय के साथ-साथ सीजीपीए में अलग-अलग ग्रेड दिए गए हैं, वहां दो अंकों में से जो अधिक होगा उसे लिया जाएगा।

(सात)। अंक पत्र में अंक और ग्रेड दोनों रखने वाले आवेदकों को केवल अंकों के साथ आवेदन करना होगा। यदि कोई आवेदक अंकों के बजाय ग्रेड के साथ आवेदन करता है, तो उसका आवेदन अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा।

(viii) आवेदकों के बीच टाई के मामले में, प्राथमिकता क्रम के आधार पर मेरिट तय की जाएगी: -

"डीओबी (उम्र में बड़ी), एसटी ट्रांस-महिला, एसटी महिला, एससी ट्रांस महिला, एससी महिला, ओबीसी ट्रांस-महिला, ओबीसी महिला, ईडब्ल्यूएस ट्रांस-महिला, ईडब्ल्यूएस महिला, यूआर ट्रांस-महिला, यूआर महिला, एसटी ट्रांस- पुरुष, एसटी पुरुष, एससी ट्रांस-पुरुष, एससी पुरुष, ओबीसी ट्रांस-पुरुष, ओबीसी पुरुष, ईडब्ल्यूएस ट्रांस-पुरुष, ईडब्ल्यूएस पुरुष, यूआर ट्रांस-पुरुष, यूआर पुरुष "।

(ix) पूर्ण डेटा के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि कोई आवेदक गलत दस्तावेज़/सूचना और अनावश्यक दस्तावेज़ अपलोड करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(x) आवेदक की शॉर्टलिस्टिंग पर दस्तावेजों के सत्यापन के समय यदि पोर्टल में फीड किए गए डेटा / अंक मूल दस्तावेजों के साथ बेमेल पाए जाते हैं, तो आवेदक के नाम में छोटी वर्तनी त्रुटि होने पर भी उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। पिता/माता का नाम आदि

(xi) शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को फॉर्म में फर्जी/गलत जानकारी/विवरण प्रस्तुत करने के मामले में देयता के संबंध में अनुबंध-VI के रूप में संलग्न प्रारूप में एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी ।

9. चयन की सूचना:

(i) सगाई के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की सूची विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट और जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल पर जारी की जाएगी। आवेदकों को नवीनतम अपडेट के लिए नियमित आधार पर वेबसाइट/पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है।

(ii) आवेदकों का चयन आवेदन के समय आवेदक द्वारा चुने गए सत्यापन प्राधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा। यदि यह सत्यापनकर्ता प्राधिकारी से भिन्न है तो यह आगे संलग्न प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन है। बीपीएम के लिए एंगेजिंग अथॉरिटी डिवीजनल हेड है जबकि एबीपीएम/डाक सेवक के मामले में सब डिवीजनल हेड एंगेजिंग अथॉरिटी है।

(iii) परिणाम घोषित होने पर, शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को सूचित किया जाएगा और उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पर एसएमएस के माध्यम से दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

(iv) दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदक, सत्यापनकर्ता प्राधिकरण के साथ मूल दस्तावेज लाएंगे जैसा कि अनुबंध-VII में सूचीबद्ध है और जमा करने के लिए स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए कुल 15 दिनों की अनुमति दी जाएगी, अर्थात; सिस्टम शुरू में 10 दिन प्रदान करेगा और उसके बाद उसी के लिए एक रिमाइंडर होगा

5 और दिनों की विस्तारित अवधि में दस्तावेज़ जमा करने के लिए जनरेट किया गया । .

यदि सत्यापन सफल होता है, तो अनंतिम सगाई का प्रस्ताव दिया जाएगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे 'नॉन-टर्न अप' उम्मीदवार माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी सीधे तौर पर खारिज कर दी जाएगी।

(v) सफल दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर अनंतिम अनुबंध का प्रस्ताव सिस्टम के माध्यम से ही (पंजीकृत एसएमएस/ईमेल पर) जारी किया जाएगा। आवेदक को 15 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त नियुक्त अधिकारियों से संपर्क करना होगा ; सिस्टम शुरू में 10 दिन प्रदान करेगा और उसके बाद अनंतिम सगाई की पेशकश की प्राप्ति से 5 और दिनों की विस्तारित अवधि में दस्तावेज़ जमा करने के लिए एक रिमाइंडर उत्पन्न होगा , यदि सत्यापन करने वाला प्राधिकारी स्वयं नियुक्त करने वाला प्राधिकारी नहीं है। नियुक्ति प्राधिकारी भी दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगा और सफल सत्यापन पर उम्मीदवार को निर्धारित प्रशिक्षण सहित पूर्व-नियुक्ति औपचारिकताओं से गुजरना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा असफल सत्यापन के मामले में, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(vi) यदि आवेदक निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

(vii) विभाग यथासमय गैर-अपनाए गए और अस्वीकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की पूरक सूची जारी करना जारी रखेगा, जिन्हें दस्तावेज़ों के सत्यापन/नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के लिए समान प्रक्रिया से गुजरना होगा। 30.06.2023 के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की कोई और सूची जारी नहीं की जाएगी।

इस तिथि के बाद लंबित आवेदनों पर सगाई के लिए विचार नहीं किया जाएगा

10. महत्वपूर्ण निर्देश:

(ए) डाक विभाग और प्रत्येक पद के नियुक्त अधिकारियों के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय संशोधित करने, अधिसूचना को रद्द करने या पदों की संख्या को संशोधित करने या चल रही प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(बी) डाक विभाग किसी विशिष्ट कारण से या नेटवर्क सेवा प्रदाताओं और अन्य निर्भरता से उत्पन्न किसी भी कारण के बिना आवेदक द्वारा ईमेल/एसएमएस प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

(सी) डाक विभाग आवेदकों को कोई फोन कॉल नहीं करता है। पत्राचार, यदि कोई हो, आवेदकों के साथ किया जाएगा

संबंधित संलग्नक प्राधिकरण के माध्यम से ही। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी/पंजीकरण संख्या/मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी दूसरों को न बताएं और किसी भी बेईमान फोन कॉल से सावधान रहें। (डी) परिणाम घोषित होने तक आवेदक पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर प्रदान करके वेबसाइट पर अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं।

किसी भी पूछताछ के लिए विभागवार हेल्पडेस्क और मोबाइल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

हस्ता/-

दिनांक: 27.01.2023

रवि पाहवा
सहायक महानिदेशक
डाक विभाग
डाक भवन, नई दिल्ली - 110 001

अनुबंध-में

सभी मंडलों के लिए संभावित ग्रामीण डाक सेवक रिक्ति स्थिति https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/post_details.xlsx पर उपलब्ध प्रारूप नीचे।

अंचल प्रमंडल कार्यालय डाक सामुदायिक डाक					पत्थर की पट्टिया	का नहीं पदों	स्थानीय अध्ययन की जाने वाली भाषा	पिन कोड

अनुबंध-I (ए)

स्थानीय भाषा के विवरण के साथ पदों का समुदायवार समेकन, जिसे पद के लिए जाना जाता है, नीचे दिए गए प्रारूप में https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/Final_Post_Consolidation.pdf पर उपलब्ध है।

सर्कल भाषा यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ए पीडब्ल्यूडी बी पीडब्ल्यूडी सी पीडब्ल्यूडी डीई								

अनुबंध द्वितीय

उपक्रम

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____

इसके द्वारा यह घोषित करने का वचन देता हूँ कि, मैं स्मार्ट का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा
विभाग द्वारा पहले दिन से आपूर्ति किए गए फोन/लैपटॉप/हैंडहेल्ड डिवाइस
सगाई की।

2. इसके अलावा, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं कंप्यूटर साक्षर हूँ।

स्थान:

हस्ताक्षर _____

तारीख:

आवेदक/आवेदक का नाम: _____

पता _____

पर उपलब्ध

<https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/ANNEXURE-II.pdf>

अनुबंध-III

घोषणा

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____

एतद्वारा घोषणा करता हूं कि, मैं जीडीएस के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए साइकिल की सवारी करने में सक्षम हूं
बीपीएम/एबीएम/डाक सेवक।

2. इसके अलावा, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे सवारी करने का ज्ञान है
स्कूटर या मोटर साइकिल।

स्थान:

हस्ताक्षर _____

तारीख:

आवेदक/आवेदक का नाम: _____

पता _____

पर उपलब्ध

<https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/ANNEXURE-III.pdf> _____

उपक्रम

I _____ बेटा/बेटी/पत्नी

_____ एतदद्वारा घोषित करने का वचन देता हूं कि, मेरे पास होगा

टीआरसीए के अलावा आय के अन्य स्रोत और भत्तों का भुगतान

मेरे और मेरे परिवार के लिए आजीविका का समर्थन करने की स्थिति में सरकार

ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवकों के पद पर नियुक्ति।"

स्थान:

हस्ताक्षर _____

तारीख:

आवेदक/आवेदक का नाम: _____

पता _____

पर उपलब्ध

<https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/ANNEXURE-IV.pdf>

अनुबंध- V

आवेदकों के लिए निर्देश

1. पंजीकरण:

आवेदक को पहले खुद को / खुद को (ए) पर पंजीकृत करना होगा
जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल लिंक सगाई www.indiapostgdsonline.gov.in। विवरण पंजीकरण संख्या प्राप्त
करने पर

(बी) पोर्टल पर पंजीकरण के लिए, आवेदकों के पास अपना सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण, शॉर्टलिस्टिंग के परिणाम की घोषणा, अनंतिम सगाई की पेशकश आदि सहित, केवल एसएमएस / ईमेल के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। विभाग किसी अन्य रूप में आवेदक के साथ संवाद नहीं करेगा।

(सी) एक बार आवेदक पंजीकृत हो जाने के बाद उसी मोबाइल नंबर को किसी अन्य आवेदक के पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि मूल विवरण में परिवर्तन करके कोई डुप्लीकेट पंजीकरण पाया जाता है, तो ऐसे सभी पंजीकरणों की उम्मीदवारी चयन प्रक्रिया से हटा दी जाएगी। कोई भी आवेदक जो पंजीकरण संख्या भूल गया है, पंजीकरण संख्या को 'भूल गए पंजीकरण' विकल्प के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकता है।

2. शुल्क का भुगतान:

(ए) शुल्क: 100 / - / - (रुपये एक सौ केवल) का शुल्क आवेदकों द्वारा डिजीजन की पसंद में अधिसूचित सभी पदों के लिए भुगतान किया जाना है। हालांकि, सभी महिला आवेदकों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों, पीडब्ल्यूडी आवेदकों और ट्रांसजुमन आवेदकों के लिए शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

(बी) आवेदक की छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर, आवेदक भुगतान के लिए प्रदान किए गए लिंक का उपयोग करके भुगतान के किसी भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सभी मान्यता प्राप्त क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सुविधा/यूपीआई का उपयोग किया जा सकता है।

समय-समय पर नियमों के अनुसार डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के उपयोग के लिए लागू शुल्क आवेदकों को लगाया जाएगा।

(सी) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या सुरक्षित स्थान पर नोट कर लें।

(डी) एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह विशेष डिवीजन में आवेदन करने के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करें
शुल्क भुगतान करने से पहले।

ड) जिन आवेदकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, वे सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। _____

3 ऑनलाइन आवेदन:

3.1। प्रभाग का चयन और प्राथमिकताओं का प्रयोग:

एक आवेदक एक या एक से अधिक चयनित संभागों में से केवल एक में ही जीडीएस के रिक्त पदों के लिए एक या एक से अधिक आवेदन कर सकता है। डिवीजन विकल्प का चयन करने से पहले, आवेदक को पंजीकरण संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी देकर अपने विवरण को सत्यापित करना होगा।

मंडल का चयन करने पर, सभी पात्र पदों (समुदाय और आयु के आधार पर) की एक सूची प्रदर्शित की जाएगी, जिसके लिए आवेदक को वरीयता देनी होगी। आवेदक पर उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसने अपनी वरीयता नहीं दी है/दर्शाई है। हालांकि, अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो केवल एक पद को सगाई के लिए पेश किया जाएगा और अन्य सभी पदों के लिए उसके अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे।

उदाहरण: - यदि कोई आवेदक किसी संभाग में वरीयता पद 1, पद 2, पद 3, पद 4, पद 5 आदि के लिए पाँच पदों का चयन करता है और एक से अधिक पदों में मेधावी के रूप में चयनित होता है, तो वरीयता के क्रम में पहला पद, जिसके विरुद्ध वह / वह सबसे उपयुक्त पाया जाता है, की पेशकश की जाएगी और शेष सभी पदों के लिए उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

3.2। दस्तावेजों की अपलोडिंग:

आवेदक को निर्धारित प्रारूपों और आकारों में ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय केवल निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले स्कैन किए गए दस्तावेजों को सॉफ्टकॉपी के रूप में तैयार रखें:-

क्र.सं. नहीं।	का नाम दस्तावेज़	फ़ाइल प्रारूप अपलोड	अनुमत फ़ाइल आकार अपलोड अनिवार्य है या नहीं
1	हाल का फोटो	करना .jpg/.jpeg	50kb से अधिक नहीं अनिवार्य
2	हस्ताक्षर	.jpg/.jpeg	20kb से अधिक नहीं अनिवार्य

3.3। सत्यापन प्राधिकारी का चयन:

शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों का चयन पूरी तरह से अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय आवेदक द्वारा दिए गए अंकों/डेटा के आधार पर होगा। हालांकि, चयन ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डेटा/अंकों के साथ मूल प्रमाणपत्रों/मार्कशीट आदि के सत्यापन के अधीन होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के समय ही दस्तावेज़ के सत्यापन के लिए एक सत्यापनकर्ता प्राधिकरण का चयन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद के चरण में दस्तावेज़ों के सत्यापन में तेजी लाने के लिए उस मंडल के मंडल प्रमुख का चयन करें जिसमें वे आवेदन कर रहे हैं।

हालांकि, उसके विकल्प पर किसी अन्य मंडल प्रमुख को इस उद्देश्य के लिए उसके स्थान के पास चुना जा सकता है।

3.4। आवेदन फॉर्म सुधार के लिए खिड़की:

(ए) ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, 3 दिनों की अवधि के लिए एक विंडो प्रदान की जाएगी ताकि आवेदक ऑनलाइन आवेदन को सही/संशोधित कर सकें।

(बी) एक आवेदक को उक्त 3 दिनों की विंडो के दौरान एक बार अपने संशोधित/संशोधित आवेदन को सही करने और फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। अपने अद्यतन आवेदन में भी किसी भी गलती को फिर से करने वाले आवेदकों को सुधार करने का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।

(सी) केवल उन्हीं आवेदकों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ (जहां लागू हो) निर्दिष्ट अवधि के भीतर विभाग द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

(डी) नवीनतम संशोधित/संशोधित आवेदन को अंतिम माना जाएगा और ऐसे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पिछला आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अंतिम आवेदन के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।

(ई) संशोधित आवेदन जमा करने से पहले, आवेदकों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है।

'एप्लिकेशन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस संबंध में किसी भी रूप में जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि के किसी भी अनुरोध पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

नोट:- (ए) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, जिससे भारी कारणों से वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके। समापन दिनों के दौरान वेबसाइट पर लोड करें।

(ख) उपरोक्त कारणों से या विभाग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से आवेदक अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं होने के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रत्येक लोकेशन से ही प्रेषित किए जाएं। (सी) पूर्वावलोकन/प्रिंट विकल्प के माध्यम से जांच करनी

पर उपलब्ध

<https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/ANNEXURE-V.pdf>

अनुबंध- VI

उपक्रम

में

बेटा / बेटा / पत्नी

_____ एतद्वारा घोषणा करने का वचन देता हूँ कि, विवरण

मेरे द्वारा प्रस्तुत (यानी आयु/पता/शैक्षिक योग्यता/कंप्यूटर

ज्ञान/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/जाति आदि) जिसके आधार पर मैं आवेदन कर रहा हूँ

जीडीएसबीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवक के पद मेरे सर्वोत्तम के अनुसार सही हूँ

ज्ञान और विश्वास।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि कोई विवरण प्रस्तुत किया गया है

me सगाई प्रक्रिया के किसी भी चरण में / के दौरान झूठा पाया जाता है

सगाई, मेरी उम्मीदवारी सभी के खिलाफ खारिज कर दी जाएगी

रिक्तियों, के लिए आवेदन किया है, या मेरी सगाई के बाद, मैं के तहत समाप्त कर दिया जाएगा

जीडीएस (आचरण और सगाई) नियम। मैं भी समझ गया कि मैं बनूंगा

किसी भी झूठे विवरण/दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आपराधिक/कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी

आदि।

स्थान:

हस्ताक्षर _____

आवेदक/आवेदक का नाम: _____

तारीख:

पता _____

पर उपलब्ध

<https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/ANNEXURE-VI.pdf>

अनुबंध- VII

अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों और प्रत्येक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करना होगा:-

- मूल अंक / बोर्ड शीट।
- मूल समुदाय / जाति प्रमाण पत्र।
- मूल पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र।
- मूल ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण की मूल तिथि।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र। चिकित्सा प्रमाण पत्र के चिकित्सा अधिकारी से होना चाहिए

कोई भी सरकारी अस्पताल / सरकारी औषधालय / सरकार

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि (अनिवार्य)।

- मूल _____

दस्तावेज़।

पर उपलब्ध

<https://indiapostgdsonline.cept.gov.in/Notifications/ANNEXURE-VII.pdf>